I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB AMBALA **Year (वर्ष):** 2017

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 02/06/2017 09:54 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/05/2017 **Time (समय):** 11:36 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 31/05/2017 11:36 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** ओम प्रकाश

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1967 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	Present Address	उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्युरो, अम्बालाAMBALA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्युरो, अम्बालाAMBALA, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address(वर्तमान पता)**
1	हमीर सिहं		Father's Name: करनैल सिहं	1. 34,वार्ड न 02,दुर्गा कालोनी,नारायणगढ़,नारायणगढ़ AMBALA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	**Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मान जी, नकल लेख निम्नलिखित है सेवा मे, प्रबंधक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला श्रीमान जी, निवदेन है कि जांच क्रंमाक 10 दिनांक 04.11.2015 हमीर सिंह गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बडी बस्सी ब्लॉक शहजादपुर, जिला अम्बाला व अन्य के विरूद्व मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 63/114/2015/01/चौकसी-2 दिनांक 26.10.2015 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पृ0 क्रमांक 16269/आई-3/रा0चौ0ब्यु0(ह0) दिनांक 05.11.2015 द्वारा श्रीमति परमजीत शर्मा वासी कोठी नं0 23 न्यू ऑफिसर कॉलोनी, अम्बाला शहर, उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकूला की गई शिकायत के आधार पर आरोप की पडताल हेतू राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला से प्राप्त हुई थी। शिकायत के आरोप की पडताल के दौरान पाया गया कि वर्ष 1992 में हमीर सिंह गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बडी बस्सी ब्लॉक शहजादपुर, जिला अम्बाला ने अपने शिक्षा विभाग से अनुमति लेकर MA की डिग्री के लिये प्राईवेट तौर पर मगध विश्वविद्यालय बोध गया बिहार में आवेदन देना पाया गया है। जिस पर विश्वविधालय द्वारा हमीर सिहं को रोल नं0 45302 रजिस्ट्रेशन न. 52223 वि 1988 देना दर्शाया गया है। हमीर सिहं द्वारा अप्रैल 1992 में AN कालेज पटना, बिहार में MA के पेपर देकर परीक्षा में हमीर सिंह को 800 में से 444 अंक प्राप्त करने और मगध विश्वविधालय द्वारा हमीर सिहं को MA Math की डिग्री जारी की दर्शायी गई है। जो हमीर सिहं ने एक डिग्री अपनें विभाग को वर्ष 1997 में अपनी पदोन्नति से पहले दी गई थी। अध्यापको की प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के दौरान महानिदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला की नोटिंग पेज नं0 25 अनुसार जिन अध्यापको को पदोन्नत किया जाना था उनकी डिग्री तसदीक करने के आदेश महानिदेशक शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 01.12.1997 तक पूर्ण करके दिनांक 05.12.1997 तक स्पेशल मैसन्जर के माध्यम से उपलब्ध करवाने बारे लिखा गया है। लेकिन अध्यापको की डिग्री शिक्षा विभाग के अधिकारियो द्वारा तसदीक करनी नहीं पाई गई है। निदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 16/116-13 एच0आर0एल0 (1) दिनांक 04.05.2016 अनुसार हमीर सिंह गणित अध्यापक की डिग्री तसदीक होने बारे कार्यालय मे कोई भी रिकार्ड/दस्तावेज उपलब्ध होने से इनकार किया गया है। जिस MA Math की डिग्री पर हमीर सिंह की पदोन्नति हुई है। इस डिग्री में रोल न. 45302 रजिस्ट्रेशन न. 52223 वि 1988 दर्शाया हुआ है। जांच के दौरान हमीर सिहं पुत्र श्री करनैल सिहं वासी मकान नं0 34, वार्ड नं0 02, दुर्गा कालोनी नारायणगढ़ सेवा निवृत प्राध्यापक गणित GSSS बड़ी बस्सी, ब्लाक शहजादपुर, जिला अम्बाला कीं मगध विश्वविधालय में जाकर MA गणित की डिग्री की तसदीक की गई पंजियन शाखा, मगध विश्वविधालय के अभिलेख के अनुसार पंजियन संख्या 52223/1988 पर श्री राकेश कुमार पाण्डेय पिता श्री कमल नारायण पाण्डेय अंकित है। हमीर सिंह गणित अध्यापक की छुट्टियो का विवरण राजकीय उच्च विद्यालय भुरेवाला तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला से अध्यापक लोकेश चन्द से प्राप्त किया गया जिसमे हमीर सिंह गणित अध्यापक

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

द्वारा वर्ष 1992 में ए0एन0 कॉलेज पटना बिहार मे एम0ए0 के पेपर देने हेतू कोई लम्बी छुट्टी लेनी नही पाई गई है। इसके अतिरिक्त जांच से यह भी पाया गया है कि अध्यापको की स्नातकोतर डिग्री की तसदीक किये बिना ही अध्यापको को प्रध्यापक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है जिस बारे कार्यालय निदेशक सीनियर सैकण्डरी एजुकेशन हरियाणा की नोटिंग की सत्यापित प्रति से पाया गया कि कि हमीर सिंह गणित अध्यापक की पदोन्नति सरकार के दिशा निर्देशो की उल्लंघना करके की गई है। दिनांक 09.12.1997 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा कुल 86 प्राध्यापक पदोन्नति प्राप्त करने वाले प्राध्यापको की स्नात्कोत्तर की डिग्रियों को सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से निदेशालय के विशेष अधिकारियों को नियुक्त करके निश्चित समय अवधि मे तसदीक करवा ली जाये। परन्तु उक्त प्राध्यापकों की पदोन्नति प्राप्त करने वाले प्राध्यापको की स्नात्कोत्तर की डिग्रियों को सम्बधित विश्वविद्यालयों से तसदीक नही करवाई गई। जिसका विवरण निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, शिक्षा सदन सैक्टर 5 पंचकुला के पत्र क्रमांक 16/112-2013/पी0जी0टी0-II (1) दिनांक 23.01.2017 में दिया गया है। निदेशक कार्यालय के अधिकारियो/कर्मचारियो श्री धर्मपाल ठाकुर रिटायर्ड असिस्टैंट, शिवनारायण जैन सुपरिडैन्ट रिटायर्ड, तिलक राज मल्होत्रा रिटायर्ड असिस्टैंट डायरैक्टर (आर0सी0), योगन्द्र कुमार डिप्टी डायरैक्टर (को-ओर्डिनेटर), तत्कालीन ओ0एस0डी0 अश्वनी कुमार कार्यालय निदेशक सीनियर सेकण्डरी एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सैक्टर 5 पंचकुला, शिव नारायण जैन सुपरिडैन्ट रिटायर्ड व योगन्द्र कुमार डिप्टी डायरैक्टर (को-ओर्डिनेटर) शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापको की डिग्रियो की तसदीक किये बिना ही हमीर सिंह गणित अध्यापक को उपरोक्त अधिकारियो द्वारा मिलीभगत/धोखाधड़ी से गलत तरीके से अपने-अपने पद का दुरूपयोग करके अनूचित लाभ पहुचाया गया है। शिव नारायण जैन सुपरिडैन्ट रिटायर्ड व योगेन्द्र कुमार डिप्टी डायरैक्टर (को -ओर्डिनेटर) की मृत्यु हो चुकी है। यदि हमीर सिंह गणित अध्यापक की एम0ए0 की डिग्री की तसदीक उपरोक्त अधिकारियो द्वारा पदोन्नति के दौरान की जाती तो फर्जी डिग्री का मामला उसी समय स्पष्ट हो जाता और किसी भी अध्यापक को अनुचित लाभ नही मिलता। इस प्रकार हमीर सिंह गणित अध्यापक द्वारा फर्जी डिग्री प्राप्त करके और फर्जी डिग्री के आधार पर अपने विभाग के उच्च अधिकारियो से मिलीभगत करके गलत तरीके से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करनी की गई है। इसलिए उपरोक्त तथ्यो अनुसार हमीर सिहं पुत्र श्री करनैल सिहं वासी मकान नं0 34, वार्ड नं0 02, दुर्गा कालोनी, नारायणगढ़ सेवानिवृत प्राध्यापक गणित GSSS बड़ी बस्सी, ब्लाक शहजादपुर, जिला अम्बाला फर्जी डिग्री प्राप्त करने व गलत तरीके से फर्जी डिग्री के आधार पर प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने का आरोपी बनता है व श्री धर्मपाल ठाकुर रिटायर्ड बजट अफसर शिक्षा विभाग वासी गांव पालूवास जिला भिवानी हरियाणा, तिलक राज मल्होत्रा रिटायर्ड असिस्टैंट डायरैक्टर (आर0सी0) शिक्षा विभाग वासी मकान न0 458 फेस-1 सैक्टर 55 मोहाली, तत्कालीन ओ0एस0डी0 अश्वनी कुमार कार्यालय निदेशक सीनियर सेकण्डरी एडुकेशन हरियाणा पुत्र श्री द्वारका नाथ वासी मकान नं0 291 सैक्टर 21 चण्डीगढ़, के द्वारा हमीर सिंह गणित अध्यापक व अन्य की डिग्री की तसदीक ना करके मिलीभगत करके हमीर सिंह गणित अध्यापक को गलत तरीके से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत करके अपने पद का दुरूप्योग किया है। इसलिए हमीर सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह वासी मकान नं0 34, वार्ड नं0 02, दुर्गा कालोनी, नारायणगढ़ सेवानिवृत्त गणित अध्यापक GSSS बड़ी बस्सी ब्लॉक शहजादपुर, जिला अम्बाला, धर्मपाल ठाकुर रिटायर्ड बजट अफसर शिक्षा विभाग वासी गांव पालूवास जिला भिवानी हरियाणा, तिलक राज मल्होत्रा रिटायर्ड असिस्टैंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग वासी मकान नं0 458 फेस-1 सैक्टर 55, मोहाली व श्री अश्वनी कुमार तत्कालीन ओ0एस0डी0 सीनियर सैकण्डरी एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सैक्टर 5 पंचकुला रिटायर्ड पुत्र श्री द्वारका नाथ वासी 291 सैक्टर 21 चण्डीगढ़ के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा0द0स0 व 13(1) डी0 पी0सी0एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य अध्यापक, प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किये गए है उनकी डिग्रीयो की जांच भी मुकदमा की तफतीश के दौरान कर ली जावें ताकि और किसी को भी फर्जी डिग्री के आधार पर गलत लाभ ना पहुंचाया गया हो और किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी या विश्व विद्यालय के कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसको भी तफतीश के दौरान देख लिया जाने का सुझाव दिया जाता है। उपरोक्त धाराओ के तहत मुकदमा दर्ज करके स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट, अम्बाला व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रति उच्च अधिकारियों को भेजी जावें। मिशल मुकदमा व सम्बन्धित रिकॉर्ड तफतीशी अधिकारी को भेजा जावे। हस्ताक्षर अंग्रेजी Om Parkash उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्युरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला दिनांक 22.05.2017. उक्त तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतू पत्र क्रमांक 1791/रा.चौ.ब्यु. (अ) दिनांक 22.05.2017 अनुसार महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला को भेजी गई थी । जो महांनिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो, हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 6664/आई-5/रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 26.05.2017 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्युरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला के डायरी क्रमांक 957 दिनांक 29.05.2017 अनुसार मुकदमा दर्ज करनें के लिये आदेश के साथ प्राप्त हुई है। अज थानाः- हस्ब आमदा उपरोक्त तहरीर प्राप्त होनें पर बाहवाला रपट न. 05 समय 11.36 बजे सुबह दिनांक 31.05.2017 मुकदमा न. 05 दिनांक 02.06.2017 धारा 420, 467, 468, 471व 120-बी. भारतीय दण्ड संहिता व 13 (1) डी. भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट बदस्त एच.सी. अंकुश न. 1080/करनाल को प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति इलाका मैजीस्ट्रेट साहब अम्बाला व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर तफतीशी अधिकारी के पास मौका पर भिजवाई जा रही है व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारियों की सेवा में अलग से भिजवाई जा रही हैं । ईन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** Sh. RamDutt (I (Inspector))/A121 **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sh. RamDutt

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): A121

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1957				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)